मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2011 (फाल्गुन 13, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, तथा

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, पटल पर रखेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र अन्तर्गत कुओं की विद्युत लाईनों का सुधार कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इंदौर-उज्जैन फोरलेन पर निर्माणाधीन पुल सकरा होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश के कृषकों को कृषि ऋणों पर ब्याज की छूट न मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), अजय सिंह तथा नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम थावरी में फसल मुआवजा राशि न मिलने के कारण कृषक द्वारा आत्म हत्या किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बुडेरा में पेयजल योजना एवं पानी की टंकी का निर्माण किये जाने, तथा

(ख) शहर में कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोले जाने,

(2) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम सेवासी में विद्युत ग्रिड लगाये जाने, तथा

(ख) ग्राम सेवासी में हाई स्कूल प्रारम्भ किये जाने,

(3) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया को जिला बनाये जाने, एवं

(4) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम छनेरा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ....(क्रमशः)

निर्धारित समय

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश रियल इस्टेट नियामक संस्था का गठन किया जावे, जो मकान खरीदने वाले ग्राहकों को पंजीकृत बिल्डरों द्वारा तकनीकी शब्दों के कारण होने वाले शोषण से बचा सके ."

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि भिण्ड शहरी विकास का मास्टर प्लान जो नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अनुसार लागू है, जिसमें शहर की बढ़ी आबादी के परिप्रेक्ष्य में भिण्ड विकास योजना में प्रस्तावित बायपास के निर्माण हेतु राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराये."

(3) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि विधान सभा सदस्यों के नाम प्रोटोकाल सूची में महापौर से ऊपर रखे जावें."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2011